


उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/5391 /

जबलपुर, दिनांक 24/08/2019

श्रीमती कांती सोनी, भृत्य, कोर्ट अटेंडेंट/रूम अटेंडेंट/अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर को जिला न्यायाधीश (सतर्कता) महोदय के बंगले पर ड्यूटी लगाये जाने पर उक्त अवधि में अपने उग्र स्वभाव का परिचय देते हुये बात-बात में बहस करने, अत्यंत आवश्यक कार्य को संपादित करने से इंकार करने एवं निर्धारित कार्यालयीन आठ घंटे की ड्यूटी करने से भी इंकार करने के कदाचार करने के फलस्वरूप चेतावनी दी जाती है, कि भविष्य में कदाचार की पुनरावृत्ति न करें।

  
(प्रियदर्शन प्रसाद)  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)


पृष्ठांकन क्रमांक D/5392 /

जबलपुर, दिनांक 24/08/2019

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशासन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. अनुभाग अधिकारी स्थापना/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
4. सहायक स्थापना/सेवापुस्तिका, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. रीडर टू जिला न्यायाधीश (सतर्कता), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
6. श्रीमती कांती सोनी, भृत्य, कोर्ट अटेंडेंट/रूम अटेंडेंट/अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

  
(प्रियदर्शन प्रसाद)  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)  
Pur

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : मुख्यपीठ जबलपुर


// आदेश //

क्रमांक D/5389 /

जबलपुर, दिनांक 24/08/2019

1. श्री धनेश तिवारी, जमादार नया पदनाम उशोर
2. श्री नरेन्द्र दुबे, जमादार नया पदनाम उशोर
3. श्री सुधीर मिश्रा, कोर्ट अटेंडेंट / रूम अटेंडेंट / अटेंडेंट
4. श्री सत्यप्रकाश श्रीवास, कोर्ट अटेंडेंट / रूम अटेंडेंट / अटेंडेंट,
5. श्री विजय रौतेल, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले,  
दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी,

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 05.03.2019 को कोर्ट रूम नंबर 12 के समक्ष अपने सहकर्मियों के साथ खड़े होकर अभद्रतापूर्वक जोर-जोर से चिल्लाकर शोर करने, से न्यायालयीन कार्य में असुविधा व व्यवधान उत्पन्न होने पर माननीय महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुये न्यायालय के जमादार को भेजकर शांत रहने के लिये कहे जाने पर आपके द्वारा निर्देशों की अवहेलना करते हुये लगातार शोर करने के फलस्वरूप अअभिलेखनीय चेतावनी (Non recordable) इस निर्देश के साथ दी जाती है, कि भविष्य में अनुशासन बनाये रखें एवं इस प्रकार की त्रुटि की पुनरावृत्ति न करें, असफल रहने पर आपके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

  
(418/19)  
(राजेन्द्र कुमार वाणी)


for रजिस्ट्रार जनरल

जबलपुर, दिनांक 24/08/2019

पृष्ठांकन क्रमांक D/5390 /  
प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशासन / न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. डिप्टी रजिस्ट्रार न्यायिक..... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. अनुभाग अधिकारी स्थापना / न्यायिक / रिट ब्रांच उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
5. सहायक स्थापना / सेवापुस्तिका, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
6. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक) महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. श्री धनेश तिवारी, श्री नरेन्द्र दुबे, जमादार नया पदनाम उशोर, श्री सुधीर मिश्रा, श्री सत्यप्रकाश श्रीवास, कोर्ट अटेंडेंट / रूम अटेंडेंट / अटेंडेंट एवं श्री विजय रौतेल, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेपित ।

  
(प्रियदर्शन शर्मा)  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)  
for